झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0ख[illegible]0) 10/2022–808

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

श्री सतीश चन्द्र चौधरी
अपर सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः–19/10/2022

विषयः– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् लाभुकों को खाद्यान्न वितरण में विलम्ब के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1923 दिनांक–12.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आयोग द्वारा भेजे गए अखबार के कतरन के संदर्भ में प्रसंगाधीन पत्र प्राप्त हुआ। आयोग के पत्रांक–477 दिनांक–27.05.2022 एवं पत्रांक–501 दिनांक–06.06.2022 द्वारा क्रमशः मार्च एवं अप्रैल, 2022 का अनाज मई में तथा अप्रैल एवं मई, 2022 का अनाज जून में वितरण करने सम्बन्धी प्रकाशित समाचार का कतरन भेजते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई थी। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा उक्त के संदर्भ में One Month Distribution Cycle में होने वाले समस्याओं के कारण वितरण की अवधि यथावश्यक विस्तारित करने की सूचना दी गई है।

उक्त के संदर्भ में निदेशानुसार निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए:–

1. अखबार में प्रकाशित समाचार में मार्च का चावल मई में एवं अप्रैल का चावल जून में वितरण करने का उल्लेख है। कृपया वस्तु–स्थिति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि मार्च एवं अप्रैल, 2022 का चावल कब तक जनवितरण प्रणाली दुकानदारों तक पहुँच गया था।
2. प्रत्येक माह के 1 तारीख से ही लाभुक उक्त माह के अनाज पाने के हकदार हैं। विभाग लाभुकों को सहयोग हेतु अगले माह तक उठाव का विकल्प देता है। लेकिन क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं PDS दुकानदार इस विकल्प को अधिकार मान कर उठाव में एवं PDS दुकान तक अनाज पहुँचाने में अनावश्यक विलम्ब करते हैं। PDS दुकानों तक समय पर अनाज नहीं पहुँच पाने के कारण कालाबाजारी को बल मिलता है। सूचित किया जाए कि वर्ष–2022 में अब तक किन–किन जिलों के द्वारा समय–सीमा के अन्दर अनाज PDS दुकानों पर नहीं पहुँचाया गया है (माहवार)। साथ ही यदि इस सम्बन्ध में किसी कर्मी/पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई हो तो उसकी भी सूचना दी जाए।

अनुरोध है कि उपरोक्त से सम्बन्धित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

विश्वासभाजन

19/10/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx211

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

Mail Sent 19/10/22

पत्रांक :– खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (खा०आ०)/7–9/2021 1923

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

सतीश चन्द्र चौधरी, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड, राँची।

/राँची, दिनांक – 12/07/22

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभुकों को खाद्यान्न वितरण के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–477, दिनांक 27.05.2022 एवं पत्रांक–501, दिनांक 06.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पूर्व से राज्य में खाद्यान्न वितरण के लिए दो माह की समयावधि निर्धारित थी जिससे खाद्यान्न के Accounting एवं भारत सरकार के Anna Vitran Portal पर डाटा के Updation में समस्या हो रही थी। जिसमें सुधार हेतु जनवरी, 2022 से राज्य में One Month Disrtibution Cycle प्रारंभ किया गया है, परन्तु कतिपय कारणों यथा–भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न की अनुपलब्धता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक साथ कार्यान्वित होने के कारण आवंटन लगभग दोगुणा होने इत्यादि के कारण One Month Disrtibution Cycle के प्रभावी होने में समस्यायों को देखते हुए विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण की अवधि यथावश्यक विस्तारित की गयी है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह मार्च, 2022 का खाद्यान्न 28 अप्रैल, 2022 तक (विभागीय पत्रांक–1138, दिनांक 21.04.2022) अप्रैल, 2022 का दिनांक 31.05.2022 तक (विभागीय पत्रांक–1439, दिनांक 26.05.2022) मई, 2022 का दिनांक 30.06.2022 तक एवं जून, 2022 का दिनांक 31.07.2022 (विभागीय पत्रांक–1689, दिनांक 16.06.2022) तक विस्तारित किया गया है। इस प्रकार पूर्व की भाँति अब तक Two Month Cycle ही चल रहा है एवं खाद्यान्न के वितरण में किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ है।

3. विभाग Monthly Distribution Cycle को प्रभावी करने हेतु कृतसंकल्पित है।

विश्वासभाजन,

(सतीश चन्द्र चौधरी),
सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

पत्रांकः– खा०प्र० 01/रा०खा०सु०(खा०आ०) 7–9/2021 1138

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

सतीश चन्द्र चौधरी, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड,
झारखण्ड ।

निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
झारखण्ड।

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, राँची

सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड।

सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 21/4/2022

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं PMGKAY के तहत माह मार्च 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण की अवधि विस्तार करने के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 3549 दिनांक 28.12.2021, पत्रांक–285 दिनांक 28.01.2022, पत्रांक 715 दिनांक 09.03.2022 एवं पत्रांक–1042 दिनांक 08.04.2022 तथा निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय का पत्रांक–653 दिनांक 19.04.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग अंतर्गत संचालित खाद्यान्न वितरण की विभिन्न योजनाएँ यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/ झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना इत्यादि के तहत खाद्यान्न वितरण का Monthly distribution Cycle लागू किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रासंगिक विभागीय पत्रों के माध्यम से दिया गया है।

2. उक्त संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह मार्च 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु कतिपय जिलों को विभागीय पत्रांक–1042 दिनांक 08.04.2022 के माध्यम से दिनांक 20.04.2022 तक अवधि विस्तारित किया गया था।

3. निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के पत्रांक–581 दिनांक 06.04.2022 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह मार्च 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु कतिपय जिलों को पुनः अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षोपरांत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जाते हैः–

i. NFSA के तहत गोड्डा, चतरा, जामताड़ा, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, बोकारो, प० सिंहभूम, खूँटी, गिरिडीह, पलामू, सरायकेला, सिमडेगा, साहेबगंज, कोडरमा, लातेहार तथा राँची जिला में माह मार्च 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु अंतिम रूप से दिनांक 28.04.2022 तक अवधि विस्तारित किया जाता है।

ii. PMGKAY के तहत खूँटी, गिरिडीह, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, गोड्डा, सरायकेला, चतरा, साहेबगंज, कोडरमा, लातेहार, राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, जामताड़ा, सिमडेगा, प० सिंहभूम एवं दुमका जिला में माह मार्च 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु अंतिम रूप से दिनांक 28.04.2022 तक अवधि विस्तारित किया जाता है।

iii निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय तथा सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी की NFSA तथा PMGKAY के तहत ऑफलाईन/ अपवाद पंजी से वितरित खाद्यान्न की Entry दिनांक 30.04.2022 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाय।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए खाद्यान्न वितरण योजनाओं के तहत निर्धारित समयावधि में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

21.4.22

(सतीश चन्द्र चौधरी)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:– खा०प्र० 01/रा०खा०सु०(खा०आ०) 7–9/2021 1138 राँची/दिनांक 21/4/2022

प्रतिलिपि :– सभी उपायुक्त, झारखण्ड/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अवर सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

21.4.22

सरकार के अपर सचिव।

पत्रांकः– खा०प्र० 01/रा०खा०सु०(खा०आ०) 7–9/2021 1439

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

ज्योति कुमारी झा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड,
झारखण्ड ।

निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
झारखण्ड।

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, राँची

सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड।

सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 26/05/22

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह अप्रैल 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण की अवधि विस्तार करने के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 3549 दिनांक 28.12.2021, पत्रांक–285 दिनांक 28.01.2022, पत्रांक 715 दिनांक 09.03.2022 एवं पत्रांक–1042 दिनांक 08.04.2022 पत्रांक 1138 दिनांक 21.04.2022 तथा निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय का पत्रांक–719 दिनांक 02.05.2022, विभागीय पत्रांक 1307 दिनांक 09.05.2022 एवं निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय का पत्रांक 873 दिनांक 25.05.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग अंतर्गत संचालित खाद्यान्न वितरण की विभिन्न योजनाएँ यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना इत्यादि के तहत खाद्यान्न वितरण का Monthly distribution Cycle लागू किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रासंगिक विभागीय पत्रों के माध्यम से दिया गया है।

2. निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के पत्रांक–873 दिनांक 25.05.2022 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह अप्रैल 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षोपरांत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जाते हैः–

i. NFSA के तहत सभी जिलों में माह अप्रैल 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु दिनांक 31.05.2022 तक का अवधि विस्तार किया जाता है।

ii. PMGKAY के तहत सभी जिलों में माह अप्रैल 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु दिनांक 31.05.2022 तक का अवधि विस्तार किया जाता है।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए खाद्यान्न वितरण योजनाओं के तहत निर्धारित समयावधि में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

25/05/2022

(ज्योति कुमारी झा)
सरकार के अवर सचिव।

89 4/

ज्ञापांकः– खा०प्र० 01/रा०खा०सु०(खा०आ०) 7–9/2021 1439 राँची/दिनांक 28/05/22

प्रतिलिपि :– सभी उपायुक्त, झारखण्ड/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

28/05/2022

सरकार के अवर सचिव।

पत्रांकः– खा०प्र० 01/रा०खा०सु०(खा०आ०) 7–9/2021 1689

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

ज्योति कुमारी झा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड,
निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड।
राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, राँची
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 16/06/22

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह मई एवं जून 2022 के लिए एवं JSFSS के तहत माह मई 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण की अवधि विस्तार करने के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 3549 दिनांक 28.12.2021, पत्रांक–285 दिनांक 28.01.2022, पत्रांक 715 दिनांक 09.03.2022 एवं पत्रांक–1042 दिनांक 08.04.2022 पत्रांक 1138 दिनांक 21.04.2022 तथा निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय का पत्रांक–719 दिनांक 02.05.2022, विभागीय पत्रांक 1307 दिनांक 09.05.2022, निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय का पत्रांक 873 दिनांक 25.05.2022, विभागीय पत्रांक 1439 दिनांक 26.05.2022, निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय का पत्रांक 891 दिनांक 26.05.2022 एवं विभागीय पत्रांक 1519, दिनांक 03.06.2022 तथा निदेशालय का पत्रांक–946, दिनांक 07.06.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग अंतर्गत संचालित खाद्यान्न वितरण की विभिन्न योजनाएँ यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना इत्यादि के तहत खाद्यान्न वितरण का Monthly distribution Cycle लागू है।

2. निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के पत्रांक–946 दिनांक 07.06.2022 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह मई एवं जून 2022 के लिए एवं JSFSS के तहत माह मई 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के आलोक में खाद्यान्न वितरण योजनाओं के तहत Monthly Distribution Cycle में संशोधन हेतु निम्नवत् निर्णय लिये जाते हैं:–

i. सभी जिलों में NFSA अंतर्गत माह मई 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु दिनांक 30.06.2022 तक माह जून 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु दिनांक 31.07.2022 तक अवधि विस्तार दिया जाता है।

ii. सभी जिलों में PMGKAY अंतर्गत माह मई 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु दिनांक 30.06.2022 तक माह जून 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु दिनांक 31.07.2022 तक अवधि विस्तार दिया जाता है।

iii. सभी जिलों में JSFSS के अंतर्गत माह मई 2022 के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु दिनांक 31.07.2022 तक का अवधि विस्तार दिया जाता है।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए खाद्यान्न वितरण योजनाओं के तहत निर्धारित समयावधि में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

16/06/2022

(ज्योति कुमारी झा)
सरकार के अवर सचिव।

(80)

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत)–10 / 2022 -501

प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 06.06.2022

विषयः– अप्रैल एवं मई माह का राशन 30 जून तक मिलने संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक–06.06.2022 को राज्य में अप्रैल–मई माह का राशन 30 जून तक मिल सकने संबंधी समाचार प्रकाशित हुई है। प्रकाशित समाचार में यह भी उल्लेख है कि अप्रैल माह का राशन भुगतान समय पर नहीं होने के कारण विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त प्रकाशित समाचार की कतरन की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले में एक विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/6/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्डराज्य आवासबोर्ड के पुरानेभवन का द्वितीय तल, हरमूहाउसिंगकॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

हिन्दुस्तान

दिनांक - 6/6/2022

6/6/22

अप्रैल-मई का राशन 30 जून तक मिल सकेगा

निर्देश

- एक महीने का दूसरे माह में राशन नहीं भुगतान करने का है प्रावधान
- समय पर भुगतान नहीं करने पर बाद में नहीं दिया जाएगा राशन

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो । झारखंड में 30 जून तक अप्रैल-मई महीने का राशन, मिल सकेगा। इसके लिए सभी जिलों को खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग ने निर्देश दिया है। अब तक जिस महीने का राशन होता था, उसी महीने उसका भुगतान हो जाना होता है। अप्रैल महीने का राशन भुगतान समय पर नहीं होने की वजह से विभाग ने यह निर्णय लिया है। ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लोगों को दिया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई महीने का राशन लाभुकों को उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को अप्रैल और मई महीने का राशन जून तक उपलब्ध होगा। राशन का वितरण निर्धारित समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 30 जून तक राशन का वितरण नहीं हो सका तो उसके बाद इन महीने का राशन का भुगतान नहीं हो सकेगा। इसे सरेंडर करना होगा और इसे स्टॉक में दिखाना होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर सचिव ज्योति कुमारी झा ने झारखंड राज्य खाद्य व असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी और राज्य खाद्य निगम के सभी जिला प्रबंधक को निर्देश दिया है। साथ ही समय सीमा के अंदर इसे सुनिश्चित करने को कहा है।

(4)

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत) 10/2022–477

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 27.05.2022

विषयः– लाभुकों को मार्च माह का बकाया राशन माह मई में मिलने संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक–11.05.2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत लाभुकों को मार्च माह में दिया जाने वाला राशन माह मई में दिये जाने से संबंधित समाचार प्रकाशित हुई है (छायाप्रति संलग्न)। इस संबंध में विभाग की ओर से झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिये जाने का उल्लेख है। साथ ही यह भी उल्लेखित है कि ई–पॉश मशीन में पिछले माह का राशन वितरण का विकल्प नहीं रहने के कारण लाभुकों को राशन देने में परेशानी हो रही है।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य खाद्य निगम को ससमय खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि लाभुकों को निर्बाध रूप से ससमय राशन उपलब्ध हो सके।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
26/5/22
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

(20)

ऑडिट रिपोर्ट | लाभुकों का न तो हस्ताक्षर है, न अंगूठे का निशान, चावल वितरण हुआ नहीं और उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया

देवघर जिले में गड़बड़ी, 550 क्विंटल चावल किसे बांटा, प्रमाण नहीं

चंदन मिश्र

रांची। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभुकों के बीच चावल वितरण में भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। लाभुकों को बांटे गये 550 क्विंटल चावल का कोई हिसाब-किताब नहीं है। झारखंड के महालेखाकार की ऑडिट जांच रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि किस तरह सरकारी राशि का दुरुपयोग और गरीबों को मिलनेवाले खाद्यान्न के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

ऑडिट जांच में पाया गया है कि तीन प्रखंडों द्वारा लाभुकों को वितरित दिखाए गए 551 क्विंटल चावल के विरुद्ध कोई प्रमाण जैसे प्राप्ति के विरुद्ध लाभुकों का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान और संबंधित वितरण पंजी या अभिलेख न तो उपलब्ध थे और न ही ऑडिट जांच के दौरान प्रस्तुत किया जा सका। जिसमें दिखाया गया चावल का वितरण संदेहास्पद प्रतीत होता है।

किस प्रखंड में चावल वितरण में हुई गड़बड़ी

प्रखंड	कुल वितरित चावल	अभ्युक्ति
मधुपुर	451 क्विंटल चावल	पूरी वितरित चावल की मात्रा के विरुद्ध एक भी लाभुक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं मिला
सारठ	99.60 क्विंटल	वितरित दिखाए गए 99.60 क्विंटल चांवल की मात्रा के विरुद्ध लाभुक प्राप्ति हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान या वितरण पंजी उपलब्ध नहीं

किस प्रखंड में कितना वितरण व कितना शेष रह गया अनाज

प्रखंड	लाभुकों को वितरण	शेष अनाज (क्विंटल)	अभ्युक्ति
देवीपुर	150.90 क्विंटल	20.80 क्विंटल	जनवितरण दुकान में
पालोजोरी	240 क्विंटल	16.50 क्विंटल	प्रखंड कार्यालय में
देवघर	251.80 क्विंटल	4.50 क्विंटल	बीएसओ/दुकान में
मधुपुर	174.20 क्विंटल	04.10 क्विंटल	बीएसओ/दुकान में
मार्गोमुंडा	72.90 क्विंटल	3.20 क्विंटल	बीएसओ/दुकान मे
सारठ	128.10 क्विंटल	2.70 क्विंटल	बीएसओ/दुकान मे
सोनारैठाधि	74.10 क्विंटल	1.50 क्विंटल	बीएसओ/ दुकान में
करौं	89.90 क्विंटल	1.20 क्विंटल	बीएसओ/दुकान में

प्रति परिवार 10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराना था: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा 23 मार्च 2020 को देवघर के उपायुक्त को 30 लाख रुपए उपलब्ध कराते हुए यह निर्देश दिया गया था कि वैसे व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन उन्हें अनाज पाने की योजना में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें प्रति परिवार 10 किलोग्राम स्थानीय बाजार समिति की दर पर खरीद कर एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाए। चावल का वितरण प्रखंड स्तर, शहरी वार्ड स्तर, पंचायत स्तर, जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर निगरानी की देखरेख में कराया जाना था।

साथ ही प्रति किलोग्राम के विरुद्ध मिलने वाले एक रुपए की राशि का खर्च संबंधित उपायुक्तों द्वारा समुचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चत करने के लिए करना था। साथ ही इसका पूरा लेखा-जोखा रखना था।

1.47 करोड़ रुपए चावल खरीद कर बांटने को मिले थे: महालेखाकार की ऑडिट टीम ने जब जांच शुरू की तो इसमें भारी अनियमितताएं सामने आयीं। देवघर के उपायुक्त को एक करोड़ 47 लाख रुपए चावल खरीद कर बांटने को मिले। इनमें से एक करोड़ 46 लाख 99 हजार 802 रुपए का उपयोगिता प्रमाणपत्र (शेष राशि 198 रुपए की वापसी पत्रांक 432/ नजारत दिनांक 24 अगस्त 2020) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के प्रबंध निदेशक रांची को भेज दिया।

ऑडिट जांच में खाद्यान्न का वास्तविक वितरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र के भेजने के नमूना जांच में पाया गया कि आवंटित पूरी राशि के चावल लाभुकों के बीच बांटा ही नहीं गया है। शेष राशि और चावल की ऑडिट जांच (अक्तूबर 2021) तक प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जन वितरण प्रणाली के पास पड़ा हुआ है।

हिन्दुस्तान 16/5/22

हिन्दुस्तान
दिनांक - 16 मई 2022

409
18.5.22